# न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट एवं न्याय निर्णयन अधिकारी सवाई माधोपुर

**पीठासीन अधिकारी– संजय शर्मा**

सिविल प्रकरण संख्याः– 102 / 2024

तारीख रजू 09.12.2024

सरकार जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी,कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर।

.......... आवेदक

**बनाम**

1. मदन मोहन गुर्जर पुत्र श्री राधेश्याम गुर्जर (मौके पर विक्रेता) निवासी साकेत नगर, डा0 भरत लाल मथुरिया के सामने सवाईमाधोपुर मैसर्स – दाधीच मिष्ठान भण्डार रणथम्भौर किला सवाई माधोपुर
2. सुरेश कुमार शर्मा पुत्र नन्द लाल शर्मा (फर्म मालिक) निवासी चमत्कार जी मन्दिर के सामने आलनपुर सवाई माधोपुर मैसर्स – दाधीच मिष्ठान भण्डार रणथम्भौर किला सवाई माधोपुर

........ अभियुक्तगण

**न्याय निर्णयन आवेदन अन्तर्गत धारा 26 की उप धारा 2 (ii) / 51&54 एफएसएस एक्ट 2006 एवं नियम 2011**

**निर्णयः–** दिनांक 11.07.2025

उक्त न्याय निर्णयन आवेदन अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर द्वारा प्राधिकृत खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री वेद प्रकाश पूर्विया खाद्य सुरक्षा अधिकारी सवाई माधोपुर (आवेदक) ने अन्तर्गत धारा 68 खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उप धारा 2 (ii) के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि आवेदक राज्य सरकार द्वारा चलाये जा रहे अभियान शुद्ध के लिये युद्ध अन्तर्गत दिनांक 24.09.2024 को 04.00 पी.एम. पर मैसर्स – दाधीच मिष्ठान भण्डार रणथम्भौर किला सवाईमाधोपुर पर पहुंचा आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा मौके पर उपस्थित विक्रेता से स्वयं का आधार कार्ड, खाद्य रजिस्ट्रेशन पत्र मांगा जिस पर उन्होंने फर्म का खाद्य रजिस्ट्रेशन एवं स्वयं का आधार कार्ड एवं फर्म मालिक सुरेश गौतम के आधार कार्ड की छायाप्रति प्रस्तुत की। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा मौके पर संस्थान का निरीक्षण करने पर आम जनता को Besan Ke Laddu Made From Besan, Bura and Ghee (Loose) विक्रय हेतु रखे हुए थे। Besan Ke Laddu Made From Besan, Bura and Ghee में मिलावट का अंदेशा होने पर Besan Ke Laddu Made From Besan, Bura and Ghee 02 किलोग्राम वजनी खरीदकर उसकी कीमत 400 /– रूपये विक्रेता को नकद अदा कर रसीद प्राप्त की जिस पर विक्रेता के हस्ताक्षर है तथा उपस्थित गवाहान संजू गौतम के हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक कर स्वयं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर फार्म सं. 5ए की प्रतियां एवं फर्द रिपोर्ट तैयार कर विक्रेता एवं गवाहान को पढकर, सुनाकर एवं समझाकर हस्ताक्षर करने को कहा जिसे श्री मदन मोहन गुर्जर ने भी पढकर, समझकर व सही मानकर हस्ताक्षर किये। फार्म सं0 5ए की एक प्रति विक्रेता श्री मदन मोहन गुर्जर को देकर रसीद प्राप्त की। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा 02 किलोग्राम Besan Ke Laddu Made From Besan, Bura and Ghee को विक्रेता एवं गवाहान को चार खाली साफ एवं सूखी प्लास्टिक की बोतले दिखाकर उक्त खरीदशुदा Besan Ke Laddu Made From Besan, Bura and Ghee को प्रत्येक बोतल में बराबर–बराबर डालकर 40–40 बूंदे फार्मेलीन डाली गई एवं बोतलों को ढक्कन लगाकर ऐयर टाईट बन्द किया तथा लेबल तैयार कर प्रत्येक बोतल पर चिपकाये और अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर के कोड एवं क्रमांक 3421 दर्ज किया। प्रत्येक

Signature Not Verified
Digitally signed by Sanjay Sharma
Date: 2025.08.07 13:22:19 IST
Reason: SelfAttested

न्याय निर्णयन अधिकारी
एवं अति. जिला मजिस्ट्रेट
सवाई माधोपुर

(36)

लेबल पर आवेदक स्वयं ने हस्ताक्षर किये एवं विक्रेता तथा गवाहान के हस्ताक्षर करवाये। चारो नमूना भागों को अलग–अलग खाकी कागज में लपेट कर प्रत्येक भाग पर अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर से प्राप्त पेपर स्लिप कमांक **H-3421** नियमानुसार चारो नमूना भागों पर नीचे से ऊपर तक गोलाई में गोंद से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवाये कि पेपर स्लिप व रेपर दोनो पर आवे। चारो नमूना भागों पर नियमानुसार गवाहान के हस्ताक्षर करवाकर स्वंय आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने तस्दीक कर हस्ताक्षर किये तथा चारों नमूना भागों को अपने जाप्ते में लिया। आवेदक ने कार्यालय पहुंचकर फार्म नम्बर 6 की छः प्रतियॉ तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे मौके पर नमूना सील बन्द किया गया था। एक नमूना भाग मय फार्म सं. 6 की एक प्रति के एक आउटर कवॅर में लपेटकर सील मोहर कर मुख्य खाद्य विश्लेषक राजस्थान जयपुर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की। दो फार्म सं. 6 की प्रति अलग से एक लिफाफे में बन्द कर चपडी से सील मोहर कर मुख्य खाद्य विश्लेषक राजस्थान जयपुर को जमा कराकर फार्म सं. 6 की पुस्त पर रसीद प्राप्त की। शेष दो सील बन्द नूमना भाग मय फार्म सं. 6 की दो प्रतियों को एक आउटर कवर में लपेट कर सील मोहर कर तथा नमूने का चौथा भाग अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर को जमा कराकर रसीद प्राप्त की गयी। आवेदक को अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर के पत्र क्रमांक एफएसएसए/2024/1087 दिनांक 22.10.2024 के द्वारा ज्ञात हुआ कि मुख्य खाद्य विश्लेषक राज. जयपुर से प्राप्त जॉच रिपोर्ट सं. एलएस/3812/एक्ट/2024/3725 दिनांक 07.10.2024 के अनुसार विक्रेता द्वारा वास्ते नमूना जॉच विक्रय किया गया **खाद्य पदार्थ** Besan Ke Laddu Made From Besan, Bura and Ghee, **Substandard & Extraneous Matter** होना पाया गया है।

उक्त प्रकरण में अभियुक्तगण द्वारा **Substandard & Extraneous Matter,** Besan Ke Laddu Made From Besan, Bura and Ghee का विक्रय एवं निर्माण करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लघंन किया है जो कि खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 एवं 54 में जुर्माना योग्य अपराध है।

न्याय निर्णयन आवेदन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अभियुक्तगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अभियुक्त जरिये अधिवक्ता उपस्थित हुए। न्याय निर्णयन आवेदन का जबाव पेश किया गया। प्रकरण में बहस उभय पक्ष सुनी गई।

अभियोजन अधिकारी ने न्याय निर्णयन आवेदन पत्र में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित कर बहस में तर्क दिया कि अभियुक्त ने **Substandard & Extraneous Matter,** Besan Ke Laddu Made From Besan, Bura and Ghee का विक्रय एवं निर्माण करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लघंन किया है जो कि खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 एवं 54 में जुर्माना योग्य अपराध है। अतः अभियुक्तगण को अधिकतम शास्ति राशि से दण्डित किया जावे।

अभियुक्तगण ने जरिये अधिवक्ता प्रस्तुत जबाव अनुसार बहस में तर्क दिया कि प्रार्थी के विरूद्ध परिवाद गलत तथ्यों के आधार पर पेश किया गया है। प्रार्थी कच्चा माल घी बेसन बूरा बाजार से खरीदकर बनाता है जो प्रार्थी ब्राण्डेड कम्पनी लक्ष्मीभोग, लोटस का खरीदता [illegible] प्रार्थी का तैयार माल लडडू उस कच्चे माल से तैयार होता है इसलिये प्रार्थी [illegible] बाजार से अच्छी कम्पनी का बेसन, घी एवं बूरा खरीदता है लेकिन बूरा गर्म बेसन में डालने से [illegible] होता है जिससे

Signature Not Verified
Digitally signed by Sanjay Sharma
Date: 2025.08.07 13:22:19 IST
Reason: SelfAttested

न्याय निर्णयन अधिकारी
एवं अति. जिला मजिस्ट्रेट
सवाई माधोपुर

(31)

सेम्पल सबस्टेण्डर्ड का आया है जिसमे प्रार्थी की कोई गलती नहीं है। अन्त में अभियुक्त द्वारा प्रकरण खारिज करने हेतु निवेदन किया गया।

उभय पक्ष की बहस सुनने व आवेदक द्वारा प्रस्तुत न्याय निर्णयन आवेदन व दस्तावेजात का अवलोकन करने के उपरान्त मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि मुख्य खाद्य विश्लेषक जयपुर से प्राप्त जॉच रिपोर्ट संख्या एलएस/3812/एक्ट/2024/3725 दिनांक 07.10.2024 के अनुसार विक्रेता द्वारा वास्ते नमूना जॉच विक्रय किया गया **खाद्य पदार्थ** Besan Ke Laddu Made From Besan, Bura and Ghee जांच रिपोर्ट के अनुसार **Substandard & Extraneous Matter** प्रकृति का होना पाया गया है। अभियुक्त द्वारा जिन ब्राण्डेड कम्पनी से कच्चा माल खरीदना बहस में बताया है उनके बिल–वाउचर इत्यादि खादय सुरक्षा अधिकारी को पेश नहीं किये जाने से तथ्य सही साबित नहीं होते हैं।

उक्त विवेचन के आधार पर अभियुक्त द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व नियम 2011 की उप धारा 26 (2)(ii) का अपराध कारित करने का दोषी माना जाकर दोष सिद्व अपराधी करार दिया जाता है, चूंकि अभियुक्त द्वारा उक्त आपराधिक प्रकृति का अपराध करना बखूबी साबित होता है। उक्त आपराधिक कृत्य के कारित करने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 व नियम 2011 की धारा 51 व 54 के अन्तर्गत आर्थिक शास्ति राशि के दण्ड से दण्डित किये जाने का प्रावधान प्रावधित है।

अतः अभियुक्तगण को सबस्टेण्डर्ड प्रकृति के **खाद्य पदार्थ** Besan Ke Laddu Made From Besan, Bura and Ghee का निर्माण एवं विक्रय करने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 व 54 के अन्तर्गत अभियुक्तगण 1 लगायत 2 पर संयुक्त रूप से 20,000 रू0 (अक्षरे–बीस हजार रूपये) की आर्थिक शास्ति राशि अधिरोपित करने के दण्ड से दण्डित किया जाता है तथा अभियुक्त को आदेशित किया जाता है कि वह उक्त दण्डित शास्ति राशि 30 दिवस के अन्दर–अन्दर न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट सवाई माधोपुर के पक्ष में देय राष्ट्रीयकृत बैंक से जारी रेखांकित ड्राफ्ट न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट सवाई माधोपुर को जमा करावें, अन्यथा गुजरने मियाद अपील नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जावेंगी। आदेश की एक प्रति आवेदक को तथा एक प्रति अभियुक्त को यदि उपस्थित हो तो व्यक्तिशः या प्राधिकृत व्यक्ति को परिदत्त की जावे। अन्य स्थिति में आदेश की प्रति जरिये पंजीकृत डाक प्रेषित की जावें।

निर्णय आज दिनांक **11.07.2025** को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली नम्बर से कम होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

(संजय शर्मा)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,सवाई माधोपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Sanjay Sharma
Date: 2025.08.07 13:22:19 IST
Reason: SelfAttested